न्यायालय समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी, शेखपुरा

(मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग)

आम नीलामी सूचना

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शेखपुरा जिलान्तर्गत विभिन्न थाना काण्डों/उत्पादों वादों के राज्यसात किये गये निम्नलिखित वाहनों को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के सुसंगत प्रावधानों के तहत आम नीलामी (Public Auction) दिनांक 15.09.17 को समाहरणालय, शेखपुरा स्थित कृष्ण सभागार में 11.00 बजे पूर्वा0 से की जायेगी।

क्र0	काण्ड/उत्पाद वाद सं0	वाहन का प्रकार	वाहन का निबंधन संख्या	मूल्यांकण राशि (रूपया में)	अग्रधन की राशि (10%)
01	कोरमा थाना काण्ड सं0 64/2016	बोलेरो पिक अप भान	BR-21-GA-1643	3,40,000/–	34,000/–
02	107C2/16	टाटा इंडिका कार	JH-01-Z-7294	1,30,000/–	13,000/–
03	136C2/16	टी0भी0एस0 जूपिटर मोटर साईकिल	BHR-52A-1580	30,000/–	3,000/–
04	138C2/16	हिरो होण्डा मोटर साईकिल	BHR-52-7550	30,000/–	3,000/–
05	मेहुँस थाना काण्ड सं0 06/2017	डिसकभर मोटर साईकिल	BR-52-A-6887	8,500/–	850/–
06	EX-158C2/17	टी0 भी0 एस0 मोटर साईकिल	BR-52-A-3254	11,000/–	1,100/–
07	34C2/2017	हिरो होण्डा पैशन मोटर साईकिल	BR-52-A-3406	13,000/–	1,300/–
08	शेखपुरा (हथियावाँ) थाना काण्ड सं0 153/16	पिक अप भान	BR-01-GC-4097	22,000/–	2,200/–

नीलामी की शर्तें :-

1. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति तालिका में वर्णित वाहनों के सामने अग्रधन राशि नीलामी के दिन बोली के पूर्व तक अधीक्षक, उत्पाद, शेखपुरा कार्यालय में नकद/बैंक ड्राफ्ट/नाजिर रसीद के रूप में जमा करना होगा।

2. नीलामी में सफल व्यक्ति का अग्रधन नीलामी की तय राशि में समायोजित कर ली जायेगी तथा असफल व्यक्तियों को जमा अग्रधन की राशि वापस कर दी जायेगी।

3. नीलामी में सफल व्यक्तियों को नीलामी की राशि नीलामी के तीन कार्य दिवसों के भीतर उत्पाद अधीक्षक कार्यालय, शेखपुरा में जमा करना होगा, अन्यथा अग्रधन की राशि जब्त कर नीलामी रद्द कर दी जायेगी।

4. समिति सफल क्रेता के नाम से वाहन का निबंधन कराने के निमित मात्र नीलामी कर दिये जाने का अधिकार पत्र निर्गत करेगी। वाहन संबंधी कागजात बनाने की जिम्मेदारी नीलामी प्राप्त करने वाले क्रेता की होगी। वाहन का पूर्व से निबंधित कागजात देने के लिए समिति बाध्य नहीं होगी तथा वाहन को सभी प्रकार के भार (free of all encumbrances) से मुक्त मानते हुए नीलामी की जायेगी।

5. नीलामी में सफल क्रेता को नियमानुकूल सभी देय करों का भुगतान करना होगा।

6. नीलामी जो है, जहाँ है, जैसा है के आधार पर किया जायेगा तथा किसी प्रकार का परिवहन व्यय देय नहीं होगा।

7. इच्छुक व्यक्ति संबंधित वर्णित उत्पाद/पुलिस थानों में जाकर वाहनों को देख सकते हैं।

8. अधिकतम डाक बोलने वाले व्यक्ति को ही पूर्ण भुगतान के आधार पर वाहन दिया जायेगा। नीलामी समिति का निर्णय अंतिम होगा।

9. किसी भी वाहन या सभी वाहनों की नीलामी बिना कारण रद्द करने की शक्ति नीलामी समिति के पास सुरक्षित रहेगी।

10. विशेष जानकारी के लिए उत्पाद अधीक्षक, शेखपुरा से सम्पर्क किया जा सकता है।

जिला दण्डाधिकारी,
शेखपुरा